संख्या-169/2016/आर-3294/26-3-2016-4(22)/2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 19 सितम्बर 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत तकनीकी त्रुटियों से वंचित छात्रों की देयता के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1528/स.क./शिक्षा-अ/2016-17, दिनांक-27.07.2016 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त केन्द्र पुरोनिधानित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में तकनीकी त्रुटियों के कारण छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित अनुसूचित जाति के 53505 छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि रूपये-17126.40415 लाख (रूपये एक अरब इकहत्तर करोड़ छब्बीस लाख चालीस हजार चार सौ पन्द्रह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष मे प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती हैः-

(1)-उक्त धनराशि से विगत वर्ष 2015-16 के उन्हीं अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं, जिनके द्वारा आन-लाइन फीडिंग करते समय जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के नम्बर, आय का उल्लेख जैसी इत्यादि लिपिकीय त्रुटि हो गयी थी और जिसका छात्रों द्वारा संशोधन दिनांक-31.05.2016 तक करते हुये विभाग को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था, को भुगतान किया जायेगा।

(2)-उक्त धनराशि का छात्र-छात्राओं को भुगतान सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावली में उल्लिखित प्रक्रियानुसार की जायेगी।

(3)-छात्र-छात्राओं को भुगतान के उपरान्त यदि कोई धनराशि बचती है तो उसकी सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

[redacted]

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या-169/2016/आर-3294/26-3-2016 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।